(1)

समक्ष न्यायालय श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय

राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निग – 2132 – I – 16 रा.प्र.क.

(37)

आवेदक — जगदीश अग्रवाल पिता स्व. छेदीलाल अग्रवाल एवं अन्य निवासी गोराबाजार तहसील व जिला जबलपुर ।

विरुद्ध

अनावेदक — सुरेन्द्र यादव एवं अन्य निवासी सदर बाजार जबलपुर

श्री तरुण पटेल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत (आवेदक) 30.6.16

आवेदन पत्र वास्ते म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत पुनरीक्षण किये जाने हेतु विरुद्ध तहसीलदार कैन्ट जबलपुर द्वारा प्र.क्र.-105/अ-121/15-16 में पारित आदेश 24/06/16

A.I TARUN PALE

आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है :–

1/ यह कि आवेदक द्वारा श्रीमान तहसीलदार केन्ट जबलपुर के समक्ष पुनर्विलोकन हेतु दिनांक 15/6/16 को स्थगन आदेश निरस्त करने हेतु आवेदन दिया था परन्तु श्रीमान तहसीलदार द्वारा दिनांक 24/6/16 को उक्त आवेदन खारिज कर दिया गया, एनेग्जर–1 आर्डर शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न है ।

2/ यह कि आवेदक की मौजा कजरवारा नं.बं. 505 प.ह.नं. 10 खसरा नंबर 36/1/क एवं 36/1/क/1 रकवा 0.612 हे. व 0.611 हे. तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि पैत्रिक है जिसे उसके पिता स्व. छेदीलाल अग्रवाल

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निग0 प्रकरण कमांक 2132–एक/2016 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
21.1.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री तरूण पाली उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार जबलपुर के प्रकरण कमांक 105/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 24.6.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण. के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में ग्राह्य योग्य नहीं होने से अमान्य की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/3/19 **अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर**	